न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

कमा W/o मोती लाल बनाम गीता W/o भैरू लाल

धारा 92, 188 किस्म 916

प्र०सं० 42/18

-/5/18 बाद जाँच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 20.8.18 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

20-8-18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। प्रतिवादीगण के समन जारी नहीं किये गये हैं अत: प्रतिवादीगण की तलबी बाबत समन जारी किये जावे। वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक ~~22-09-18~~ 7-9-18 को पेश हो।

7-9-18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। P.O. अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 12-10-18 को पेश हो। B.O.

12-10-18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। P.O. अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 22-2-19 को पेश हो। B.O.

3/2/19 वकील वादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली दिनांक को तलब की गयी। पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादिया उपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील वादिया की बहस सुनी गयी। बहस करनी चाही। वकील वादिया ने कथन किया कि हम बहस के दौरान वकील वादिया [illegible] किसी प्रकार की दावेदारी नहीं चाहते, वादिया - प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की [illegible] नहीं चाहते है जिस कारण प्रकरण इसी स्टेज पर निरस्त किया जावे का आदेश प्रदान करावें।

नि. वादी

सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा प्रार्थना पत्र की बाबत गहन
मनन किया गया। न्याय हित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर वकील वादिया का वाद पत्र प्रतिवादीगण के
विरुद्ध कोई दावसही/इतराज नहीं चाहते के वाद पत्र
खारिज किये जाने का आदेश किया जाता है पत्रावली
फैसला शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

अधिकारी
पीठासीन